न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
तेजु बैरवा बनाम दुर्गा लाल बैरवा वगैरह
किस्म – प्रा० पत्र नं० – 70/2018

18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कासोरिया में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, किन्तु नियत शिविर के दौराने अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम कासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 157 के **आराजी सख्यां 1269, 1270, 1273, 1282, 1534, 1544, 1545, 1548, 1550, 1551, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1561, कुल किता 17 कुल रकबा 19–07 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में वादीगण एंव विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है जिसका विभाजन कराये जाने बाबत इस प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमान के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। बिना सहमति से विभाजन कराये विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को बैचान करने व प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी सहखातेदारी आराजीयात का बिना विभाजन कराये अन्तरण या प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से से बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम कासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 157 के **आराजी सख्यां 1269, 1270, 1273, 1282, 1534, 1544, 1545, 1548, 1550, 1551, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1561, कुल किता 17 कुल रकबा 19–07 बीघा** में ***प्रार्थीगण के हक हिस्से तक*** राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा